झारखंड उच्च न्यायालय, रांची

डब्ल्यू.पी.(एस) संख्या 5383/2021

---

1. अशोक कुमार दुबे, उम्र लगभग 60 वर्ष, श्री विश्वनाथ दुबे के पुत्र, निवासी- होल्डिंग संख्या 63, ब्लॉक संख्या 3, शास्त्री नगर, डाकघर: कदमा, थाना: कदमा, जिला: पूर्वी सिंहभूम, झारखंड;

2. उषा देवी, उम्र लगभग 57 वर्ष, अशोक कुमार दुबे की पत्नी, निवासी- होल्डिंग संख्या 63, ब्लॉक संख्या 3, शास्त्री नगर, डाकघर: कदमा, थाना: कदमा, जिला: पूर्वी सिंहभूम, झारखंड

... याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य झारखंड

2. पुलिस पुलिस महानिदेशक-सह-महानिरीक्षक, झारखंड, रांची, पुलिस मुख्यालय, एचईसी, डाकघर और थाना: धुर्वा, जिला: रांची, झारखंड;

3. पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा, डाकघर और थाना: चाईबासा, जिला: पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड;

4. लेखा नियंत्रक, डोरांडा, डाकघर और थाना: डोरांडा, जिला: रांची, झारखंड;

5. मनीषा दुबे, श्री नितेश कुमार दुबे की पत्नी, C/O धुर्ब मिश्रा, निवासी न्यू टीचर कॉलोनी, भागवतपुर, डाकघर और थाना-गोपीगंज, जिला-भदोही, उत्तर प्रदेश

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से	: श्री दीवाकर उपाध्याय, अधिवक्ता
प्रतिवादी की ओर से	: श्री श्रीनू गरपति, एससी III श्री सुधांशु कुमार सिंह, एसी से एससी III श्री अमित कुमार वर्मा, अधिवक्ता

<u>उपस्थित</u>

माननीय श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों की सुनवाई की गई।

2. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है, जिसमें विशेष रूप से उत्तरदाताओं को यह निर्देश देने के लिए परमादेश स्वरूप की रिट/रिटों, आदेश/आदेशों, निर्देश/निर्देशों को जारी करने की प्रार्थना की गई है कि वे प्रार्थियों के इकलौते पुत्र की सेवा के दौरान मृत्यु होने के कारण उपजे सभी मृत्यु लाभों, जिनमें भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, पारिवारिक पेंशन आदि शामिल हैं, का संपूर्ण भुगतान करें, क्योंकि प्रार्थी पूरी तरह से अपने पुत्र के वेतन पर निर्भर थे।

3. मामले का संक्षिप्त विवरण यह है कि याचिकाकर्ताओं के बेटे ने सिरीकेला-खरसावां जिला पुलिस में कांस्टेबल के रूप में कार्य किया था। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि याचिकाकर्ताओं के मृतक बेटे का विवाह हुआ था और उनके एक बच्चा भी था और उत्तरदाता संख्या 5 उनके मृतक बेटे की पत्नी, नितेश कुमार दुबे की पत्नी हैं। यह भी निर्विवाद तथ्य है कि मृतक के सेवा रिकॉर्ड में उत्तरदाता संख्या 5 को उनकी पत्नी और इशिका को उनकी बेटी के रूप में उल्लेखित किया गया है। झारखंड वित्त विभाग के मेमो संख्या 9505 vi दिनांक 03.10.1964 के अनुसार, यदि कोई पुरुष अधिकारी/कर्मचारी मर जाता है तो मृतक कर्मचारी की पत्नी मृत्यु लाभ की पहली दावा करने वाली होती है। झारखंड सरकार के कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 01.12.2015 को जारी पत्र संख्या 14/अनु. 01-05/2012/Ka 10167 (अनु) के अनुसार, मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को सबसे पहले पति/पत्नी के रूप में उल्लेखित किया गया है और उसी प्रावधान के अनुसार, अवकाश नकद और समूह बीमा राशि उत्तरदाता संख्या 5- मृतक की पत्नी को दी गई है और परिवार पेंशन 01.03.2020 से 28.02.2030 तक प्रति माह ₹17,000/- की दर से और इसके बाद ₹10,200/- प्रति माह की दर से निर्धारित की गई है तथा देय मृत्यु ग्रेच्युटी ₹8,22,800/- की भी स्वीकृत की गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को उनके मृतक बेटे के मृत्यु-सेवा लाभ का कुछ हिस्सा उनके भरण-पोषण के लिए दिया जाना चाहिए था।

5. उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि चूंकि उत्तरदाता संख्या 1 से 3 ने कानून के अनुसार मृत्यु-सह-अवकाश लाभों का भुगतान उत्तरदाता संख्या 5 को कर दिया है, इसलिए प्रार्थियों को देने के लिए अब कुछ शेष नहीं है। यदि प्रार्थी स्वयं को इसके हकदार मानते हैं, तो वे उत्तरदाता संख्या 5 को दिए गए/दिए जाने वाले लाभों के विभाजन के लिए उपयुक्त न्यायालय का रुख कर सकते हैं।

6. प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा बार में प्रस्तुत दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने के उपरांत, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 5 अपने पति, जो कि प्रार्थियों के दिवंगत पुत्र भी थे, के मृत्यु-सह-अवकाश लाभ प्राप्त करने की हकदार हैं।

7. ऐसे परिस्थितियों में, यह याचिका इस शर्त के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ताओं को उचित सिविल अदालत में मुकदमा दायर करने की स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे यह निर्धारित कर सकें कि क्या वे उत्तरदाता संख्या 5 को प्राप्त या प्राप्त होने वाले मृत्यु-सेवा लाभ में से किसी भी राशि के हकदार हैं।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के हक को लेकर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायाधीश)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 17 फरवरी 2024
एएफआर/ अनिमेष

***यह अनुवाद मो. नसीम अख्तर पैनल अनुवादक (झारखंड उच्च न्यायालय, रांची) द्वारा किया गया।**